भारत सरकार **राज्य सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2278**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 19 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत को वैश्विक स्वर्ण हब के रूप में विकसित किया जाना

2278 श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकिया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नीति आयोग ने भारत को वैश्विक स्वर्ण हब के रूप में विकसित करने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है;
(ख) क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारतीय मानक ब्यूरो, वित्त मंत्रालय और अन्य हितधारकों के समन्वय से भारत को स्वर्ण व्यापार और रिफाइनिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए एक नीतिगत ढांचा तैयार करने की मंशा रखता है; और
(ग) भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए स्वर्ण रिफाइनरी, हॉलमार्किंग और निर्यात अवसंरचना को मजबूत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) नीति आयोग ने "भारत के स्वर्ण बाजार का रूपांतरण" शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

(ख) और (ग): भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और भारत को स्वर्ण व्यापार और रिफाइनिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए सोने की रिफाइनरी, हॉलमार्किंग और निर्यात अवसंरचना को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने अक्टूबर 2015 में भारत सरकार की स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस) के भाग के रूप में स्वर्ण शोधन/टकसाल का प्रमाणीकरण शुरू किया।

(ii) बीआईएस ने गुड डिलीवरी बार्स अर्थात आईएस 17278:2019 'गुड डिलीवरी के लिए परिष्कृत सोने और चांदी के बार्स' पर एक भारतीय मानक तैयार किया है, जो रिफाइनरों द्वारा गुड डिलीवरी के लिए परिष्कृत सोने और चांदी के बार्स की शुद्धता, आकार और माप जैसी तकनीकी आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। गुड डिलीवरी

गोल्ड बार्स का उपयोग मुख्य रूप से बड़े वित्तीय और व्यापारिक बाजारों में किया जाता है। कई ज्वैलर्स, आभूषण निर्यातक और बुलियन डीलर भी आभूषण निर्माण के लिए गुड डिलीवरी बार्स को प्राथमिकता देते हैं।

(iii) जून 2021 से सोने के आभूषणों/कलाकृतियों पर हॉलमार्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया था।

(iv) सोने के आभूषणों और कलाकृतियों पर हॉलमार्किंग करने के उद्देश्य से, हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन (एचयूआईडी), जो छह अंकों का विशिष्ट अल्फ़ान्यूमेरिक कोड है, उसे बीआईएस लोगो और घोषित शुद्धता/ग्रेड के अलावा प्रत्येक सोने की वस्तु पर लेज़र द्वारा अंकित किया जाता है। प्रत्येक सोने की वस्तु के लिए एचयूआईडी विशिष्ट है।

(v) देश के विभिन्न विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में रत्न एवं आभूषण (जीएंडजे) क्षेत्र की 420 इकाइयाँ कार्य कर रही हैं।

(vi) इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईआईबीएक्स) यह एक एसईजेड इकाई है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी), गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक (जीआईएफटी) एसईजेड, गांधीनगर में काम करता है। भारत में बुलियन आयात करने के लिए एक प्रवेश द्वार प्रदान करती है और बुलियन व्यापार, बुलियन वित्तीय उत्पादों में निवेश और आईएफएससी में वॉल्टिंग सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए एक बुलियन एक्सचेंज इकोसिस्टम प्रदान करती है।

(vii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) ने विभिन्न एसईबीआई विनियमित स्वर्ण उत्पादों के माध्यम से सोने और सोने से जुड़े उपकरणों में निवेश को संभव बनाया है। ये एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स (ईटीसीडी) और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (ईजीआर) हैं जिनका स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार किया जा सकता है। इन एसईबीआई विनियमित स्वर्ण उत्पादों में निवेश एसईबीआई पंजीकृत मध्यस्थों के माध्यम से किया जा सकता है और ये एसईबीआई द्वारा निर्धारित विनियामक ढांचे द्वारा शासित होते हैं।

(viii) एसईबीआई (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 भारत में गोल्ड ईटीएफ योजनाओं के लिए विनियामक ढांचा विनिर्दिष्ट करता है। गोल्ड ईटीएफ एसईबीआई के साथ पंजीकृत म्यूचुअल फंड द्वारा पेश किए जाते हैं और ऐसी योजनाएं भौतिक सोने और एक्सचेंज ट्रेडेड गोल्ड डेरिवेटिव में निवेश कर सकती हैं। गोल्ड ईटीएफ निवेशकों को भौतिक सोना रखने की आवश्यकता के बिना कम लागत वाला निवेश विकल्प प्रदान करता है।

***